न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –34/2014 जिला सीकर

सोहन लाल पुत्र श्री महादेव उर्फ महादू, जाति चेजारा, निवासी गोवटी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व. श्री मोहन , जाति चेजारा (कुमावत) निवासी गोवटी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
2. तहसीलदार, तहसील दंतारामगढ, जिला सीकर (राजस्थान)
3. उप तहसीलदार, पलसाना, जिला सीकर ।
4. पटवारी हल्का न्यू बगडियों का बास तन डूकिया, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 26.5.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक उपाध्याय
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सुमेर सैनी

निर्णय

दिनांक– 18.12.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 26.5.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम बगडियों का बास स्थित आराजी खसरा नम्बर 243/2530 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 247 रकबा 0.66 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर का नामांतरकरण संख्या 61 सहायक कलक्टर सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2011 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा जगदीश पुत्र मोहन के स्थान पर सोहन लाल पुत्र महादेव उर्फ म्हादू के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा दिनांक 19.10.2011 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण के खिलाफ जगदीश पुत्र मोहन द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं सहायक कलक्टर सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2011 के खिलाफ अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 14.8.2012 द्वारा स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2011 खारिज की जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वह प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी का निर्णय करते हुये साक्ष्य सबूत लेते हुये पुनः निर्णय पारित करें । इसी के दृष्टिगत प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अति. कलक्टर सीकर के समक्ष जगदीश की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.5.2014 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 61 दिनांक 30.9.2011 निरस्त किया गया । अति. कलक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 26.5.2014 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.5.14 निरस्त कर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 61 दिनांक 19.10.2011 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी ने एक दावा संख्या 209/2008 उनवानी जगदीश बनाम सोहन लाल आदि बाबत घोषणा न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर में प्रस्तुत किया था । विवादित भूमि अपीलान्ट के पिताजी की कृषि भूमि थी । अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रिश्ते मे चाचा भतीजा है एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पिता मोहन परिवार में बडे थे एवं अपीलान्ट महादेव उर्फ म्हादू के स्वर्गवास के समय नाबालिग था इस कारण से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पिता बडे होने के कारण महादेव उर्फ म्हादू की भूमि अकेले रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पिता मोहन के नाम दर्ज हो गई जबकि पूर्व से ही भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । तत्पश्चात् रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने विवादित भूमि को लेकर सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर के समक्ष एक दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश बनाम सोहन लाल व अन्य प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने दोनो वादो की प्रकृति एवं पक्षकारान व विवादग्रस्त आराजीयात समान होने के कारण दोनों प्रकरणों को कन्सोलीडेट करते हुये दिनांक 30.9.2011 को अपीलाधीन खसरा नम्बरान पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना मानते हुये एवं प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करते हुये अपीलाधीन खसरा नम्बरान का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया । सहायक कलक्टर प्रथम, सीकर के निर्णय दिनांक 30.9.2011 की अनुपालना में तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 61 अपीलार्थी के नाम दिनांक 19.10.2011 को तस्दीक किया है । उक्त नामांतरकरण को अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर ने बिना मौके एव कब्जे के संबंध में रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का बिना परीक्षण व अवलोकन किये विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर निरस्त करने में विधिक भूल की है । उनका कहना था कि नामांतरकरण मात्र राजस्व वसूल करने का जरिया है एवं राजस्व वसूल उसी से किया जा सकता है जिसका मौके पर कब्जा काश्त है । सहायक कलक्टर ने अपीलार्थी की सम्पूर्ण मौखिक एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करते हुये विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना मानते हुये खातेदारी प्रदान की थी । नामांतरकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से निरस्त करने में विधिक भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनंक 26.5.2014 निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2011 की अनुपालना में तहसीलदार ने अपीलान्ट के नाम स्वीकार किया गया था । चूंकि सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2011 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 14.8.2012 से खारिज किये जा चुके हैं । ऐसी स्थिति में जिस निर्णय व डिक्री की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया गया था वह निर्णय व डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा खरिज हो जाने के पश्चात् प्रश्नगत नामांतरकरण स्वतः ही निरस्त हो जाता है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश में माना है कि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर उनवानी जगदीश बनाम सोहन लाल

निर्णय दिनांक 14.8.12 से सहायक कलक्टर प्रथम सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2011 खारिज किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर प्रथम सीकर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30..9.11 के आधार पर भरा गया नामांतरकरण संख्या 61 दिनांक 19.10.11 भी प्रभावहीन हो चुका है । अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 61 तहसीलदार दांतारामगढ ने दिनांक 19.10.2011 को न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.9.2011 की अनुपालना मे अपीलान्ट सोहन लाल के नाम स्वीकार किया था । चूंकि सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.9.2011 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट जगदीश की अपील में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर निर्णय दिनांक 14.8.2012 पारित कर सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.9.2011 खारिज किये जाने से अधीनस्थ न्यायलाय अति. जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.5.2014 द्वारा रेस्पोंडेन्ट जगदीश की अपील स्वीकार करते हुये नामांतरकरण संख्या 61 दिनांक 30.9.2011 निरस्त किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 26.5.2014 उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण प्रतीत नहीं होता । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर